पीठासीन अधिकारी अंकित कुमार सिह (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11 / 2015

उनवान

श्री भवानी राम गहलोत पुत्र श्री अमरराम गहलोत जाति मालि निवासी हरिनगर शास्त्रीनगर रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति हाबू देवी पत्नी श्री भागा गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
2. श्री देवकरण पुत्र श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
3. गीता पुत्री श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
4. सुगनी पुत्री श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
5. मतिया पुत्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
6. मनभर पुत्री श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
7. श्याना पुत्री श्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
8. श्री हरि पुत्र श्री बालू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
9. श्री सोजी पुत्र श्री बालू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
10. श्री बागा पुत्र श्री बालू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
11. श्री मति बन्नी पत्नी श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
12. श्री बीरम पुत्र श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
13. श्री लाला पुत्र श्री औंकार जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
14. श्रीमति कमला पुत्री श्री बालू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
15. श्रीमति न्याली पुत्री श्री बालू जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
16. श्रीमती नैवरी पत्नी श्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर

अधिकारी

Scanned by CamScanner

17. श्री पोलू पुत्र श्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
18. श्री गोपाल पुत्र श्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
19. श्री गणेश पुत्र श्री श्रवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
20. श्रीमती सुगनी पत्नी श्री देवा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
21. श्री रामा पुत्र श्री देवा जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
22. श्रीमति लाडा पत्नी अम्बा लाल पुत्र वधु श्री जीवण जाति गुर्जर निवासी कमल नर्सरी वाली रोड रामनगर अजमेर तहसील व जिला अजमेर
23. श्री भँवरलाल उर्फ कालू पुत्र श्री अम्बा लाल पोत्र श्री जीवण जाति गुर्जर निवासी कमल नर्सरी वाली रोड रामनगर अजमेर तहसील व जिला अजमेर
24. श्री रामदेव पुत्र श्री अम्बा लाल पोत्र श्री जीवण जाति गुर्जर निवासी कमल नर्सरी वाली रोड रामनगर अजमेर तहसील व जिला अजमेर
25. श्री मुकेश उर्फ नाथू पुत्र श्री बीरम पोत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
26. श्री घीसू उर्फ रामचन्द्र पुत्र श्री बीरम पोत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
27. श्री छोटू पुत्र श्री सार्दूल जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
28. श्री चतरा पुत्र श्री सार्दूल जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
29. श्री बीरम पुत्र श्री सार्दूल जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
30. श्रीमति सन्तोष पुत्री श्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
31. श्रीमती कोयली पत्नी श्री बीरम जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
32. श्रीमती गीता पुत्री श्री बीरम जाति गुर्जर निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमेर
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 26.12.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि कि जिसके वर्तमान जमाबंदी सवंत 2065 से

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

2084 के खाता संया 2065 से 2084 के खाता संख्या नया 778, पुराना 242 के खसरा नंबर 1048 रकबा 1.7800 किस्म चाही 2 के खातेदार एवं काबिज आवेदनकर्त्ता है। वर्तमान जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या 1525 के खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.42 के अनुसार खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 107 के खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.10 एवं खसरा नम्बर 5313/1041 रकबा 0.09 के खातेदार श्री औकार पुत्र श्री बालू दर्ज है के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 11 से 14 है इसी प्रकार खाता संख्या 521 के खसरा नम्बर 5312/1041 रकबा 0.09 है एवं खसरा नंबर 5314/1041 रकबा 0.09 है के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 है इसी प्रकार खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.19 के खातेदार श्रीमती अनोपी बेवा बालू व न्याली पुत्री श्री बालू जाति गुर्जर खातेदार दर्ज है कि इनमें से अनोपी बेवा का स्वर्गवास हो चुका है के वारिस श्रीमती न्याली पुत्री श्री बालू अप्रार्थीया संख्या 15 ही है इसी प्रकार खाता संख्या 1460 के खसरा नम्बर 5313/1053 रकबा 0.17 के खातेदार श्री सोजी पुत्र श्री बालू जो कि अप्रार्थी संख्या 9 है तथा खाता संख्या 1010 के खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.17 के खातेदार श्री हरी पुत्र श्री बालू जो कि अप्रार्थी संख्या 8 है इसी प्रकार खाता संख्या 761 के खसरा नंबर 1049 रकबा 0.16 के सहिस्सेदार मु. भँवरी बेवा श्रवण व अन्य है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 16 से 32 सहहिस्सेदार खातेदारी है । वर्तमान खसरा नम्बर 1041 कि जिसके बरूह नामान्तकरण संख्या 1269 दिनांक 7.2.2008 के अनुसार बटवारे के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 0.19 के खातेदार श्री ओंकार पुत्र बालू कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है कि जिसमें वारिस अप्रार्थीगण संख्या 11 से 14 है इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 1041/2 रकबा 0.18 के सहहिस्सेदार श्रीमती दाखा व देवकरण कि इनमें से दाखा का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थी संख्या संख्या 2 से 7 खातेदार है इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 1053 के वर्किंग खसरा नम्बर 2461 व 2462 थे कि जिसका बंटवारा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 1269 दिनांक 7.2.2008 के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 2461/2 रकबा 1-3-0 एवं वर्किंग खसरा नम्बर 2462/2 रकबा 0-10-0 का खातेदार नामान्तकरण के अनसार श्री हरि पुत्र बालू जो कि अप्रार्थी संख्या 8 है इसी प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 2461/1 रकबा 1-3-0 तथा 2462/1 रकबा 0-10-0 के खातेदार नामान्तकरण के अनुसार

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

सोजी पुत्र श्री बालू जो कि अप्रार्थी संख्या 9 है के नाम दर्ज है। खातेदारी की कृषि भूमि जो वर्तमान खसरा नम्बर 1048 कि जिसका रकबा किस्म चाही 2 की भूमि के आवागमन का रास्ता जो कि अजमेर से सीकर को से लगता हुआ राजस्व नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1038, 1041, 1042 की दक्षिणी सींव से लगाता हुआ ताकि वर्तमान राजस्व नक्शानुसार खसरा नम्बर 1053 कि जिसकी वर्तमान राजस्व नक्शा वंत 2039 व 2040 में तरमीम नही हो रखी है लेकिन बंटवारा हो रखा है कि जिसका नामान्तकरण संख्या 1269 दिनांक 7.2.2008 स्वीकृत हो चुका है के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 2461 व 2462 को चार भागो में विभक्त कर 2461/1 व 2462/2 एवं 2462/1 एवं 2462/2 दर्ज किया गया के अनुसार वर्किग खसरा नंबर 2461/2 एवं 2462/1 के मध्य कि जिसके राजस्व नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 1053 के मध्य होकर ताकि वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार खसरा नंबर 1049 की दक्षिणी सींव से लगाता हुआ रास्ता कि जिसका उपयोग आवेदनकर्ता के द्वारा उसकी खातेदारी की कृषि भूमि के आवागन, खेती कार्य, टेक्टर आदि हेतु 30 फुट चौडा रास्ता दिलवाये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदनकर्ता को आवेदन कर्ता की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1048 पर आवागन खेती कार्य ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता 30 फुट चौडा कि आवेदन पत्र के पेरा संख्या 4 में दर्शाये अनुसारा रास्ता 30 फुट चौडा आवेदनकर्ता को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 दिलवाया जावे एवं वर्तमान जमाबंदी में रास्ते की भूमि का इन्द्राज सिवायचक दर्ज करवाई जावे तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में रास्ते की तरमीम करवाई जावे एवं रास्ते की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो भी राशि निर्धारित की जावेगी वह आवेदनकर्त्ता से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 32 को दिलवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी/उत्तरदाता की खातेदारी आराजीयात यानि कि खसरा नम्बर 1038, 1041, 1042, 1053 एवं 1049 की सींव से लगता हुआ कोई रास्ता न तो मौके पर अवस्थित है तथा ना ही आवेदनकर्ता का वर्णित आराजीयात में से होकर कभी कोई आवागमन रहा है। आवेदनकर्त्ता की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1048 रकबा 1.7800 है होना का

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

कथन किया है कि जिसके लगाकर खसरा नम्बर 959 अवस्थित है जो मुख्य सडक सीकर रोड से लगता हुआ नदी का नम्बर है जो मौके पर करीब 150–200 फुट चौडी है जिसका पाल लगभग 20 फुट चोडी है तथा जो कई वर्षो से सूखी पडी है जिसके उदगम स्थान से पास पास में ही पानी के रोकथाम एवं एकत्रित कर लिये जाने हेतु तीन चार रपट अलग अलग स्थान पर बनी हुई है जिससे बरसात के मौसम में भी उक्त नदी में पानी का बहाव नही होता है यानि कि आवागमन कभी भी बाधित नही होता है इस पाल के रास्ते से होकर आवेदनकर्त उत्तरदाता एवं अन्य आस पास के काश्तकारो का आवागमन कई वर्षो निरबाध रूप से चला आ रहा है तथा वर्ममान में भी किया जा रहा है जिसे प्रार्थी के पूर्वाधिकार एवं बाद खरीद प्रार्थी काफी अर्से से लगातार करता चला आ रहा है इस प्रकार उक्त रास्ता मौके पर उपलब्ध होने के बावजूद भी आवेदनकर्ता द्वारा गलत एवं मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को समक्ष पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है । प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1048 पर प्लाटिग कर आवासीय कॉलोनी में तब्दील करना चाहता है जिससे प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के अधीन गलत एवं अनुचित अनुतोष प्राप्त करने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व एवं गैर कानूनी होने से खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी खसरा नम्बर 959 में बने पाल के मार्ग से आवागमन आज दिवस तक निरन्तर निरबाध रूप से करता चला आ रहा है जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए के प्रावधानो एवं सिद्वान्तो के प्रतिकूल होने से पोषणीय नही होकर खारिज किये जाने योग्य है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावे । तहसीलदार अजमेर के द्वारा अपना जवाब दिनांक 5.12.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में प्रस्तावित भूमि पर आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता ग्राम माकडवाली खसरा नम्बर 959 रकबा 0.83 किस्म गैर मु. नदी में से है। जो वर्तमान जमाबंदी सवंत् 2069–725 के खाता संख्या 1551 में नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है। मौके पर रास्ता नही होना बताया तथा आवेदनकर्ता द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य में से है। जो प्रार्थी के आवागमन हेतु उपयोग में नही लिया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम माकडवाली के खसरा नम्बर 959 रकबा 0.83 गेर

अधिकारी

Scanned by CamScanner

मुमकिन नदी के सहारे सहारे खातेदारो से रास्ता लिया जा सकता है। पुनः तहसीलदार अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार अजमेर ने क्रमांक 5927 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु उलपब्ध लघुत्तम/दीर्घतम मार्ग नही है, प्रस्तावित मार्ग ही दीर्घतम व लघुतम है। साथ ही अवगत कराया कि खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.42 में से 360 वर्गमीटर खसरा नम्बर 5314/1041 रकबा 0.09 में से 280 वर्ग मीटर खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.17 में 180 वर्गमीटर खसरा नम्बर 1050/3866 रकबा 0.03 में 280 वर्गमीटर खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.19 में 340 वर्गमीटर रास्ते में प्रस्तावित किया जाना अवगत कराया है।

उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पास में स्वयं के खातेदार खेत खसरा नम्बर 1048 रकबा 1.78 हैक्टयर खातेदार काबिज है। परन्तु विधि पूर्ण आवागमन का रास्ता नही है। इस कारण भारी परेशानी व दिक्कते का सामना करना पडता है। इस कारण मुख्य रोड से पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 1038, 1041, 1042 की दक्षिण सीव से लगते लगते एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1053 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 2461 व 2462 जिसका विधिवत विभाजन होकर विभाजन डिकी बनाई जा चुकी है के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 2461 की दक्षिणी सीव यानि वर्तमान खसरा नम्बर 1053 के मध्य में जो की पूर्व में ही बट चुका है मे से होते हुए खसरा नम्बर 1049 की दक्षिणी सीव से लगता हुआ प्रार्थी के खेत तक 30 फुट चौडा रास्ता आवागमन हेतु एवं टेक्टर ट्राली हेतु दिया जावे । प्रार्थी जो भी राशि है अदा करने को तैयार है। प्रार्थी में फर्द्द दस्तावेज जमाबदी राजस्व मानचित्र मिलान क्षेत्र वर्किंग जमाबंदी आदि प्रस्तुत कर रखी है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी नदी खसरा नम्बर 959 में से होकर आराजी से अपने खेत में जा सकता है । तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 5.12.16 व भू.अ. निरीक्षक माकडवाली की रिपोर्ट दिनांक 21.11.16 प्रस्तुत हुई, के द्वारा जाहिर किया कि प्रार्थी नदी खसरा नम्बर 959 के सहारे सहारे रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है जो लघुत्तम मार्ग होगा बताया गया । अप्रार्थी द्वारा जबाब आपत्ति आवेदन में उठाए गए उजरात निरस्त किए जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन विशलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी को 20 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1048 पर आवगमन एवं टेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम माकडवाली तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 1038, खसरा नम्बर 5314/1041, खसरा नम्बर 1042 खसरा नम्बर 1053, खसरा नम्बर 1050/3866 में से 20 फुट चौडा रास्ते दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार अजमेर राजस्व अभिलेख में इस अनुसार उपरोक्त वर्णित रास्ते को सिवायचक अंकित कर रास्ते की तरमीम करने के इन्द्राज दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार अजमेर उक्त दिए गए रास्ते भूमि कीमत डी.एल.सी दर तलब की जावे उपरोक्त कीमत दो गुना राशि प्रार्थी रकबे के अनुसार अप्रार्थीगण को संदाय करने हेतु राशि का भुगतान करे, न लेने पर राशि राजकोष में जमा कराई जावे । आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को जारी हो ।

आदेश आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(अंकित कुमार सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner